

# राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य



बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट  
जयपुर

आस्था संस्थान  
जयपुर

# राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य

बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट  
जयपुर

आस्था संस्थान  
उदयपुर

शोध एवं लेखन :

नेसार अहमद  
महेन्द्र सिंह राव  
कोमल मीणा

राजस्थान में पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत एवं  
इनसे करवाये जा सकने वाले कार्य

इस पुस्तिका का उपयोग संदर्भ के साथ किया जा सकता है।

© बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट एवं आस्था संस्थान

प्रकाशक : बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट एवं आस्था संस्थान

प्रथम संस्करण : अगस्त, 2016

मुद्रक : रूचिका क्रिएशन

बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट एवं आस्था संस्थान  
द्वारा सीमित प्रसार एवं निःशुल्क वितरण के लिए प्रकाशित

# अनुक्रमणिका

विवरण	पेज नं.
प्रस्तावना	(iv)
1. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था: एक भूमिका	1
● राज्य में पंचायतों को हस्तांतरित 16 विषय	1
● राज्य में पंचायतों को हस्तांतरित पूर्ण विषय	1
● पंचायत आयोजना एवं बजट	1
● पंचायतों की आय के स्रोत	2
➤ टाईड फंड (बंधन कोष)	2
➤ अनटाईड फंड (निर्बंध कोष)	3
2. राज्य वित्त आयोग	4
● पांचवां राज्य वित्त आयोग	4
● पांचवें राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य	5
3. केन्द्रीय वित्त आयोग	7
● चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग	7
● चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य	8
● निष्पादन अनुदान (Performance Grant) हेतु दिशा निर्देश	9
4. ग्राम पंचायतों को उपलब्ध राशि का विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग	11
5. संदर्भ सूची	12

## प्रस्तावना

राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के व्यवस्थित क्रियांवयन एवं संचालन हेतु यह आवश्यक है कि पंचायतों के चुने हुये प्रतिनिधियों, कार्यरत कर्मचारियों एवं आम लोगों को इस व्यवस्था के कानूनी तथा प्रशासनिक प्रावधानों के साथ आय के प्रावधानों एवं विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आय तथा संसाधनों एवं इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी अवश्य हो। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर (बार्क) ट्रस्ट, जयपुर द्वारा आस्था संस्थान, उदयपुर के सहयोग से राज्य में पंचायतों को मुख्य स्रोतों से उपलब्ध आय से करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी पर एक संक्षिप्त मैनुअल तैयार किया गया है। प्रस्तुत मैनुअल में पंचायतों के आय के मुख्य स्रोतों जिसमें मुख्य रूप से निर्बन्ध आय स्रोतों (राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) से प्राप्त संसाधनों एवं आय को खर्च किये जा सकने वाले मदों अर्थात् इनसे करवाये जा सकने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा पंचायतों के बजट एवं आयोजना तथा आय के विभिन्न स्रोतों एवं संसाधनों की जानकारी के संबंध में बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (बार्क) द्वारा वर्ष 2012 में प्रकाशित पंचायत बजट मैनुअल का उपयोग करना भी लाभकारी होगा।

अतः आशा करते हैं कि यह मैनुअल पंचायतों के चुने हुये प्रतिनिधियों एवं पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों तथा आम लोगों के लिये उपयोगी साबित होगा एवं इस व्यवस्था के सशक्तिकरण में योगदान करेगा।

— बार्क टीम

## 1. राज्य में पंचायती राज व्यवस्था: एक भूमिका

पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की एक संवैधानिक व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिये भारतीय संसद ने वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया। संविधान में 73वें संशोधन के आधार पर प्रदेश में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू किया गया तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिये राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 तैयार किया गया। पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यकारी संस्थाएँ हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था रहती है जिसका अध्यक्ष सरपंच होता है तथा सचिव इस संस्था के लिये सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त होता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कार्यकारी संस्था रहती है जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है तथा विकास अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यकारी संस्था है जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस संस्था पर सरकारी अधिकारी नियुक्त होता है। राजस्थान में कुल 33 जिला परिषदें, 295 पंचायत समितियां तथा 9894 ग्राम पंचायतें हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में पंचायतों को हस्तांतरित किये जा सकने वाले 29 विषयों में से 16 विषयों के कुछ कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया।

**राज्य में पंचायतों को हस्तांतरित 16 विषय :** राज्य सरकार द्वारा 3 जून 2003 को 16 विषयों— ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, राजस्व, पशुपालन, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, उद्योग, वन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तकनीकी, पर्यटन कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक निर्माण के कुछ कार्य पंचायतों को हस्तांतरित किये गये।

**राज्य में पंचायतों को हस्तांतरित पूर्ण विषय :** राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को पंचायतों को हस्तांतरित 16 विषयों में से 5 विषयों को बजट, कार्य तथा कार्मिक के साथ पूर्ण रूप से पंचायतों को हस्तांतरित कर दिये गये। ये पांच विषय—कृषि, प्रारम्भिक शिक्षा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास हैं।

**पंचायत आयोजना एवं बजट :** पंचायतों को उपरोक्त विषय हस्तांतरित करने के बाद इस व्यवस्था के लिये आयोजना, बजट एवं आय के स्रोतों का महत्व बढ़

गया है। पंचायतों को आयोजना तथा बजट निर्माण का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा पंचायतों को अपने कार्य क्षेत्र में विकास के लिये आयोजना बनाने का अधिकार दिया गया है। पंचायतें अपने कार्यों को सूचीबद्ध करते हुये आयोजना बनाने के पश्चात निर्धारित कार्यों पर आयोजना, गैर आयोजना, प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को शामिल करते हुये पंचायत बजट का निर्माण करती हैं।

**पंचायतों के आय के स्रोत :** पंचायतों के आयोजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने हेतु बजट का होना बेहद जरूरी है, जो पंचायतों के आय स्रोतों पर निर्भर करता है। पंचायतों की आय के स्रोतों में मुख्य रूप से निजी आय (कर एवं गैर कर राजस्व), राज्य सरकार से प्राप्त राशि (राज्य योजनाओं एवं राज्य वित्त आयोग की राशि) एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि (केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य वित्त आयोग की राशि) आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा पंचायतों को सोसायटीज तथा विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, पुरस्कार एवं उधार तथा कर्ज के रूप में भी आय प्राप्त होती है।

पंचायतों को उपलब्ध आय एवं संसाधनों को बंधन तथा निर्बंध सहित दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

### 1. टाईड फंड (बंधन कोष)

: पंचायतों को टाईड (बंधन) मद में आवंटित राशि के खर्च के लिये पंचायतें प्रतिबन्धित होती है तथा इस मद में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ एवं आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती हैं। टाईड फंड में प्राप्त राशि केवल उसी मद में खर्च की जा सकती है जिस मद हेतु वह राशि आवंटित की गयी है। टाईड मद में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य आयोजना की राशि शामिल होती है।

पंचायतों के आय के स्रोत

- निजी आय –
  - कर राजस्व\*\*
  - गैर कर राजस्व\*\*
- राज्य सरकार से आय –
  - राज्य से आयोजना राशि\*
  - राज्य वित्त आयोग से राशि\*\*
  - राज्य सरकार से अनुदान\*\*
- केन्द्र सरकार से आय –
  - केन्द्र प्रवर्तित योजना की राशि\*
  - केन्द्रीय वित्त आयोग से राशि\*\*
- सोसायटीज से राशि\*
- विदेशी संस्थाओं से आय\*
- पुरस्कार राशि\*\*
- उधार/कर्ज –\*
  - टाईड फण्ड\*      अनटाईड फण्ड \*\*

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि ।
- राज्य आयोजना की राशि ।

**2. अनटाईड फंड (निर्बंध कोष) :** पंचायतों को अनटाईड फंड (निर्बंध कोष) मद में आवंटित राशि वह राशि होती है जिसके खर्च के लिये पंचायतों पर प्रतिबंध नहीं होता है । अनटाईड फंड के रूप में प्राप्त राशि को पंचायतें अपनी समझ व आवश्यकता अनुसार खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती हैं । अनटाईड फंड में राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचायत द्वारा स्वयं उगाहे गये कर से प्राप्त आय शामिल होती है । हालांकि राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों से प्राप्त राशि को इनके दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च करना होता है ।

- राज्य वित्त आयोग की राशि ।
- केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि ।
- पंचायत द्वारा स्वयं उगाहे गये कर से प्राप्त आय ।

इस मैनुअल में राज्य की पंचायतों को प्राप्त होने वाले अनटाईड फंड (निर्बंध कोष) के स्रोतों (राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग) से उपलब्ध राशि के खर्च की मदों अर्थात् इनसे प्राप्त आय से करवाये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी दी जा रही है ।



## 2. राज्य वित्त आयोग

भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य एवं स्थानिय निकायों—शहरी निकायों एवं ग्रामीण निकायों (जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों) के बिच करों का निर्धारण, बंटवारा एवं अनुदानों की सीमा निर्धारित करता है। अब तक राज्य में 5 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं एवं 5वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2020 तक है जिसकी अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाली राशि अनटाईड फंड (निर्बंध कोष) के रूप में होती है।

**पांचवां राज्य वित्त आयोग :** पांचवें राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार प्रत्येक जिले को आवंटित कुल राशि में से 5 प्रतिशत राशि जिला परिषद को, 15 प्रतिशत पंचायत समिति तथा शेष 80 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है। राजस्थान पंचायती राज विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (2015—16) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 5वें राज्य वित्त आयोग के तहत राज्य के वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 में करीब 2073.75 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु बजट का प्रावधान किया गया। इसमें से करीब 1167.14 करोड़ रु. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये एवं करीब 77.47 करोड़ का व्यय कर 624 कार्य पूर्ण करवाये गये।

हालांकि पांचवें राज्य वित्त आयोग ने इस वर्ष (2016—17) के लिये राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान राशि देने के लिये रिपोर्ट अभी पेश नहीं की है। लेकिन राज्य सरकार के वित्त विभाग की बजट पुस्तिका के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं हेतु वर्ष 2016—17 में 2457.13 करोड़ रु. का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस राशि में से राज्य की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को आवंटित कुल राशि के आधार पर प्रति ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद आवंटित राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	जिला परिषदों की संख्या
1965-70	19.87	124.94
1971-76	19.87	124.94
1981-86	19.87	124.94

राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य

उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2016-17 के बजट में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों हेतु करीब 122.86 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि पंचायत समितियों हेतु 368.57 करोड़ रु. एवं ग्राम पंचायतों हेतु करीब 1965.70 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर राज्य में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की कुल संख्या के आधार पर औसतन प्रति ग्राम पंचायत करीब 19.87 लाख रु., प्रति पंचायत समिति करीब 124.9 लाख रु. एवं प्रति जिला परिषद करीब 372.30 लाख रु. की राशि आवंटित की गयी है।

5वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि को पंचायतें निम्न कार्यों हेतु खर्च कर सकती हैं।

**पंचवें राज्य वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य :** पंचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा पेश की गयी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान पंचायती राज विभाग के दिसंबर 14, 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार इस आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत प्राप्त राशि से पंचायतों द्वारा निम्न कार्य करवाये जा सकते हैं।

- ✓ ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
- ✓ गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था।
- ✓ पेयजल आपूर्ति।
- ✓ शवदाह एवं कब्रिस्तान का रख-रखाव।
- ✓ सफाई व्यवस्था।
- ✓ स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आंतरिक सड़कों, सीमेंट कांक्रीट रोड़ मय नाली निर्माण के कार्य।
- ✓ बस अड्डे, प्याऊ एवं सार्वजनिक संपत्तियों का रख-रखाव।

- ✓ पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण ।
- ✓ सामुदायिक हॉल का निर्माण एवं रख-रखाव
- ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का रख-रखाव ।
- ✓ ई-गवर्नेन्स/अटल सेवा केन्द्रों के सुचारु संचालन के लिए खर्च ।
- ✓ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए खर्च ।
- ✓ लिंग संवेदनशीलता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार-प्रसार के लिए ।
- ✓ जनता जल योजना के रख-रखाव को सम्मिलित करते हुए पेयजल व्यवस्थाओं के लिए ।
- ✓ जल संरक्षण के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए ।
- ✓ वृक्षारोपण के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए ।
- ✓ एल.ई.डी. लाइटों के प्रयोग के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए ।
- ✓ स्वच्छ भारत अभियान के लिए सौलर लाइटों के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए ।
- ✓ पेयजल हेतु आर. ओ. प्रणाली के लिए ।
- ✓ मुकदमेबाजी से मुक्त गांव के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए ।

### 3. केन्द्रीय वित्त आयोग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख कार्य केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को निर्धारित करना है। इसके अंतर्गत आयकर, उत्पाद शुल्क जैसे केन्द्रीय करों का केन्द्र एवं राज्यों के बिच बंटवारा, राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों एवं ऋणों का निर्धारण किया जाना शामिल है। संविधान के अनुसार यह आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष में गठित किया जाता है जिसमें अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं। भारत में पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था जिसका कार्यकाल 1952-57 रहा। अब तक 14 केन्द्रीय वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-16 से 2019-20 तक है।

#### चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग:

वर्तमान में चौदहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-20 की अवधि के लिये केन्द्र सरकार के सामने सुझाव एवं सिफारिशें रखी है, जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इसके अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2015-20 तक कुल 2,87,436 करोड़ रु. का आवंटन स्थानिय निकायों के लिये किया जाना है। इस कुल आवंटन में से पंचायतों को लगभग 2,00,292 करोड़ रु. का आवंटन किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों को इस कुल आवंटन में से लगभग 87,143 करोड़ रु. का आवंटन किया जायेगा।

चौदहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल अनुदान का 90 प्रतिशत बुनियादी अनुदान तथा 10 प्रतिशत अनुदान निष्पादन अनुदान (Performance Grant) अर्थात् कार्य प्रगति के आधार पर दिए जाने का सुझाव दिया है। निष्पादन अनुदान पंचायतों द्वारा उनके खाते (अकाउंट) के सीएजी के निर्देशानुसार सही रख रखाव एवं निजी आय में बढ़ोतरी करने पर ही दिया जायेगा। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मूल अनुदान तथा कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है।

14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-20 के 5 वर्ष में राजस्थान की ग्राम पंचायतों को कुल 13633 करोड़ रु. आवंटित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें 12270 करोड़ रु. मूल अनुदान तथा 1363 करोड़ रु. का निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

14वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के लिये प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि एवं राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत राशि का आंकलन किया जाये तो राज्य की हर एक ग्राम पंचायत हेतु 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष (2015-16) करीब 15 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जो बढ़ते-बढ़ते पांचवें वर्ष (2019-20) में लगभग 37 लाख रु. हो जाएगी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

en@o"z	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	2019&20	dy jkf'k 1/5 o"z e#
ey vupku	1471-95	2038-17	2354-92	2724-22	3681-01	12270-27
fu"iknu vupku	&	267-35	302-55	343-58	449-89	1363-37
; ks	1471-95	2305-52	2657-47	3067-80	4130-90	13633-64

I ks% vki .kh ; kst uk vki .kka fodkl ] xte i pk; r fodkl ; kst uk fuezk k grq ekxhf' kzk] xteh. k fodkl , oa i pk; rh jkt folkkx] jkt LFKku

### प्रति ग्राम पंचायत औसत मूल अनुदान:

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के लिये प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि एवं राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत राशि का आंकलन किया जाये तो राज्य की हर एक ग्राम पंचायत हेतु 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष (2015-16) करीब 15 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जो बढ़ते-बढ़ते पांचवें वर्ष (2019-20) में लगभग 37 लाख रु. हो जाएगी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

14वाँ वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के लिये प्रति वर्ष प्रस्तावित मूल अनुदान राशि एवं राज्य की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु औसत राशि का आंकलन किया जाये तो राज्य की हर एक ग्राम पंचायत हेतु 5 वर्ष की अवधि में पहले वर्ष (2015-16) करीब 15 लाख रु. की राशि का प्रावधान किया गया है जो बढ़ते-बढ़ते पांचवें वर्ष (2019-20) में लगभग 37 लाख रु. हो जाएगी। वर्षवार प्रति पंचायत औसत मूल अनुदान राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

en@o"z	2015&16	2016&17	2017&18	2018&19	2019&20	dy jkf'k 1/5 o"z e#
ifr xte i pk; r vk] r ey vupku	14-88	20-60	23-80	27-53	37-20	124-02

I ks% vki .kh ; kst uk vki .kka fodkl ] xte i pk; r fodkl ; kst uk fuezk k grq ekxhf' kzk] xteh. k fodkl , oa i pk; rh jkt folkkx] jkt LFKku

चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि से करवाये जा सकने वाले कार्य: 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि से पंचायतें निम्न कार्य करवा सकती हैं।

- ✓ भूमिगत जल स्रोतों से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जल संग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
- ✓ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक-पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

- ✓ पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो उनका चिन्हीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्र में सीवरेज प्रबंधन संबंधी कार्य ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फलश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कहीं आवश्यक हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट एवं प्रकाश की व्यवस्था करवाना ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
- ✓ बावड़ियों, टांको, कुओं, पनघट, हैंडपंप आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण करवाना तथा खराब हैंडपंपों का उचित संधारण कराना ।
- ✓ पंचायत क्षेत्र में गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण ।
- ✓ तरल एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का रख-रखाव ।
- ✓ पंचायत क्षेत्र में कुड़े-करकट के निपटान एवं सामान्य साफ-सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना ।
- ✓ गांवों में पाकों व मैदानों का रख-रखाव ।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, कब्रिस्तान एवं श्मशानों का रख-रखाव ।
- ✓ पेयजल आपूर्ति हेतु कुओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण करवाना ।

### **निष्पादन अनुदान (Performance Grant) हेतु दिशा निर्देश:**

चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि में पंचायतों हेतु निष्पादन अनुदान (Performance Grant) का प्रावधान है। पंचायतों को उनके कार्य निष्पादन (Work Performance) के आधार पर 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस अनुदान के दिये जाने का प्रावधान है। चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायतों को 90 प्रतिशत

अनुदान मूल अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन के आधार पर प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायतों के लिये निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:

**1. अंकेक्षित वार्षिक लेखे :** इस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को विगत दो वर्षों के लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने होंगे। उदाहरण के तौर पर यदि ग्राम पंचायत को वर्ष 2016-17 के लिये निष्पादन अनुदान हेतु दावा करना है तो उसे वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लेखों का अंकेक्षण करवाना होगा। यह अंकेक्षण स्थानिय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये। अंकेक्षित खाते प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि दिये जाने का प्रावधान है।

**अंकेक्षण योग्य रिकॉर्ड :** निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित रिकॉर्ड का अंकेक्षण होना आवश्यक है:

- ग्राम पंचायत की रोकड़ बही, खाता बही एवं बैंक खातों का अंकेक्षण।
- एम.आई.एस. (MIS) प्रविष्टियों का अंकेक्षण।
- प्रिया सॉफ्ट (PRIASOFT) द्वारा प्रतिपादित रोकड़ बही का अंकेक्षण।
- प्रिया सॉफ्ट के निर्धारित प्रारूपों का अंकेक्षण।
- निजी आय की रोकड़ पुस्तिका, रिकॉर्ड, बैंक खाता एवं दैनिक लेन-देन तथा बैंक पास बुक का अंकेक्षण।

**2. निजी आय में वृद्धि :** आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु गत वर्ष की तुलना में अपनी आय में भी वृद्धि करनी होगी। पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत निजी आय में वृद्धि करने पर ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि दिये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त पात्रता रखने वाली ग्राम पंचायतें अपना कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा संबंधित वर्ष की 30 जून तक संबंधित पंचायत समिति को प्रस्तुत करना होता है। पंचायत समिति को अपने क्षेत्राधिकार वाली ग्राम पंचायतों के दावें संकलित कर 15 जुलाई तक संबंधित जिला परिषद को प्रेषित करना होता है। जिला परिषदों को ऐसे दावे संकलित करके 31 जुलाई तक पंचायती राज विभाग को प्रेषित करना होता है। जबकि 31 जुलाई के बाद निष्पादन अनुदान हेतु प्राप्त दावों पर विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

## 4. ग्राम पंचायतों को उपलब्ध राशि का विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग

ग्राम पंचायतों को उपलब्ध राशि को विभिन्न कार्यों हेतु खर्च करने तरीका हम देख सकते हैं कि राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ी राशि उपलब्ध करवायी जा रही है जिसका उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायतों को करने की पूरी छूट है। वर्ष 2015-17 में राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसतन लगभग 40 लाख रु. मिलने वाले हैं। ग्राम पंचायतों को उपलब्ध आय से विभिन्न कार्य करवाने के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है जिसे राज्य में आपनी योजना आपणो विकास नाम दिया गया है। अतः ग्राम पंचायतों आपनी योजना आपणो विकास के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वार्षिक योजना में उपरोक्त कार्य करवाने हेतु प्रस्ताव शामिल कर प्राप्त आय को प्रस्तावित कार्यों हेतु उपयोग कर सकती है।





## 5. संदर्भ सूची

- वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, 2015–16, **available on:**  
<http://rdprd.gov.in/PDF/Panchyati%20Raj%20Annual%20Report-2015-16.pdf>
- बजट पुस्तिका 2द, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, 2016–17
- दिशानिर्देश, पांचवां राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राजस्थान
- दिशानिर्देश, चौदहवां केन्द्रीय वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, भारत सरकार
- आपणी योजना आपणों विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान **available on:**  
[http://www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in/Portals/0/AYAV\\_FINAL\\_BO OK\\_08-01-2016.pdf](http://www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in/Portals/0/AYAV_FINAL_BO OK_08-01-2016.pdf)
- पंचायत बजट मैनुअल, 2012, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर
- दिशानिर्देश, 2015, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान

## आस्था संस्थान:

“आस्था” का विश्वास है कि “लोगों में शक्ति है”, जो कई बार ज्ञान चेतना व सामूहिकता के अभाव के कारण नहीं उभरती है। आस्था का मानना है कि लोगों के साथ उनकी परिस्थितियों का विश्लेषण एवं सामूहिक कार्य आयोजना एवं मुद्दा आधारित कार्य, बदलाव की प्रक्रिया को शुरू करता है।

समाज में अब तक हुए विकास के परिणामों को देखते हुए आस्था के प्रयासों में स्थाई एवं संतुलित विकास की प्रक्रिया मुख्य आधार है। हमारी कल्पना का समाज नये सामाजिक मूल्यों व वैकल्पिक विकास की सोच पर टिका है। आस्था के लिए विकास का मापदण्ड स्थानीय ढांचे से बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर व्यवस्था के ऊपरी स्तर तक पहुंचना है, जिसमें व्यापक एवं सूक्ष्म ढांचों को प्रभावित कर सकते हैं।

आस्था का प्रयास उन हजारों लोगों व उनके जन संगठनों को खड़ा करने का है, जो शोषणयुक्त व्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया, स्वयं के मुद्दों और समस्याओं के समाधान से शुरू कर सकें। आस्था के लिए संघर्ष और निर्माण की रणनीति का अर्थ व संदर्भ, स्थानीय स्तर पर जन संगठन निर्माण व उनके नेतृत्व की तैयारी करना, मुद्दा आधारित जन संगठनों के साथ नेटवर्किंग, लॉबींग व जनवकालात करना तथा लोगों के साथ अनुसंधान व नीतिगत बदलाव का कार्य करना है।

## बार्क ट्रस्ट :

बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर (बार्क) ट्रस्ट जयपुर स्थित एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसे मार्च 2015 में रजिस्टर्ड किया गया। बार्क ट्रस्ट, बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र (आस्था उदयपुर की इकाई) का नया अवतार है, जिसे बजट एवं सामाजिक नीतियों के अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु स्थापित किया गया है। बार्क ट्रस्ट सामाजिक-आर्थिक परिपेक्ष्य में तथा वंचित समुदायों के हितों की दृष्टि से बजट विश्लेषण, नीतियों के अनुसंधान के साथ योजनाओं के क्रियांवयन एवं बजट उपयोग की निगरानी, पंचायत प्रतिनिधियों एवं चुने हुये जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि कार्य करता है। बार्क के कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं से जोड़ना तथा जन-जागरूकता एवं प्रसार के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभांवित करने हेतु प्रयास करना है। बार्क ट्रस्ट पंचायत, शहरी निकाय, राज्य तथा संघीय सरकारों के स्तर पर बजट विश्लेषण, आयोजना तथा क्रियांवयन जैसे कार्यों से जुड़ा है।

## "Budget Links Policy to People and People to Policy"

### बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर ट्रस्ट Budget Analysis and Research Centre Trust

P-1, First Floor, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur (Raj)

Phone/Fax : 0141-2385254

E-mail : [info@barcjaipur.org](mailto:info@barcjaipur.org)

Website : [www.barcjaipur.org](http://www.barcjaipur.org)